



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

कार्यालयीन टीप

नस्ती क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-245/

रायपुर, दिनांक 13 /10/2020

वन विभाग

विषय:-

Gare Palma Sector II Coal Mine

Proposal No. : FP/CG/MIN/20495/2016

User Agency Name: MAHARASHTRA STATE POWER GENERATION CORPORATION LTD

Name of Project for which Forest Land is required : Gare Palma Sector II Coal Mine

Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required: The Gare Palma sector -II Coal block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) vide allotment order No. 103/30/2015/NA dated August 31, 2015. The Gare Palma sector -II Coal block is located in the Mand Raigarh coalfield of Raigarh district, Chhattisgarh which

Category of the Project : Mining

Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

Total Area of Forest Land proposed for diversion (in ha.): 214.869

Non-Forest Land required for this project(in ha.): 2368.618

Division Name: Raigarh

दिनांक नोडल कार्यालय को आनलाईन दिनांक 11.10.2021 को प्राप्त आवेदन में निम्न आपत्तिया है:-

- Form A Part - II में बिन्दु क्रमांक 4 में (Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion) Density - 0.4 उल्लेखित किया गया है। व.म.अ. के प्रपत्र -3 निरीक्षण प्रतिवेदन में 0.4 से 0.5 का उल्लेख है।
- Form A Part - II में बिन्दु क्रमांक 13 में (Details of compensatory afforestation scheme) - जानकारी निरंक है। (के.एम.एल फाईल अपलोड नहीं किया गया है।)
- Form A Part - II में बिन्दु क्रमांक 13 (iii and iv) में अपलोड जियो रिफरेंस के coordinates स्पष्ट नहीं है। एवं टोपोशीट मैप स्पष्ट एवं सही Resolution में अपलोड नहीं किया गया है।
- कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- Form A Part - I में Coloum No. K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

वनमंडलाधिकारी कार्यालय ध्यान रखें कि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करावें। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त कॉलम Yes किया गया है परन्तु प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। सुधार करें।

- Form A Part - II में गैर वन भूमि का विवरण अपलोड किया गया वह अपठनीय है। पुनः अपलोड करें।
- आवेदित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस रिपोर्ट एवं सी.डी. प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस रिपोर्ट संलग्न है परन्तु सी.डी. संलग्न नहीं है प्रस्ताव में।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस किया जा रहा है। सुधार कर प्रेषित करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़